न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 02/2022 (जी.सी.एम.एस.नम्बर 2022/43)

उनवान प्रकरण :–

राजस्थान सरकार जरिये बीज निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) धौलपुर
---------- --------प्रार्थी।

बनाम

खुशयाल सिंह पुत्र श्री ज्वालाप्रसाद जाति लोधा निवासी ग्राम मलिकपुर तहसील धौलपुर जिला धौलपुर ----------अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित बीज नियंत्रण आदेश 1983

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से :– दिव्या कमठान, सहायक लोक अभियोजक प्रथम।
2. अप्रार्थी की ओर से :– श्री गफ्फार उद्दीन अभिभाषक।

निर्णय **दिनॉक 07.07.2025**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित " बीज नियंत्रण आदेश 1983 " के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि मुझे अवैध एवं नकली बीज बेचने की सूचना दूरभाष पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद धौलपुर से दिनांक 19.06.2022 को दोपहर 02.00 बजे प्राप्त हुई। मैं लगभग सांय 03.00 बजे मैसर्स दीक्षा किराना स्टोर जाटौली निरीक्षण करने पहुँचा। निरीक्षण के दौरान वहां विकेता द्वारा बाजरा बीज बेचने हेतु प्रदर्शित कर रखा था। प्रार्थी द्वारा विकेता को अपना परिचय देकर बीज विकय से सम्बधिंत कागजात मांगे गये लेकिन विकेता के पास बीज व्यापार से सम्बधित कोई भी कागजात नहीं था। अतः श्री खुशयाल सिंह द्वारा अवैध रूप से बाजरा बीज का विकय किया जा रहा था। बिना बीज लाइसेंस एवं व्यापार से सबंधित कागजात न होने पर बीज व्यापार करना बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के क्लॉज 3,4,8,9 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लधंन है। उक्त विकेता के खिलाफ पायोनियर कम्पनी के नकली बीज (किस्म 86एम90) विकय किये जाने की शिकायत भी थी। पायोनियर कम्पनी की पैकेट का क्यू.आर. कोड स्कैन किया गया लेकिन क्यू.आर. कोड स्कैन नहीं हुआ। अतः पायोनियर कम्पनी की पैकिट में

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

अन्य किस्म का घटिया बीज भरकर बेचा जा रहा था जो कि सी.आर.पी.सी. की धारा 420 के तहत दण्डनीय अपराध है। श्री खुशयाल सिंह पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद के प्रतिष्ठित मैसर्स दीक्षा किराना स्टोर पर प्रदर्शित एवं दुकान में रखे गये बीज को बीज (नियत्रंण) आदेश 1983 के क्लॉज 13(1) (सी) एवं (डी) के तहत जब्त किया गया। जब्त किये गये बीज के प्रत्येक लॉट नं0 के नमूना आहरित कर जांच हेतु बीज परीक्षण प्रयोगशाला भरतपुर भिजवाये गये। उक्त बीज को जब्त कर क्रय विक्रय सहकारी समिति धौलपुर के व्यवस्थापक श्री गोपाल सिंह की सुरक्षित अभिरक्षा में रखवा दिया गया है। दिनांक 24.06.2022 को थानाधिकारी थाना सदर धौलपुर को उक्त प्रकरण के संबध में एफ.आई.आर.दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। उक्त प्रकरण में थाना सदर धौलपुर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 0221 दिनांक 24.06.2022 दर्ज की गई। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा बिना लाइसेंस एवं कागजात के बीज का व्यापार करना एवं नकली/मिलावटी बीज बेचना, बीज (नियत्रंण) आदेश 1983 क्लॉज 3,4,8,9 एवं धारा 20 का उल्लंधन है। अतः 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जप्तशुदा बाजरा बीज को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि वह जब्त शुदा बाजरा बीज के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो असालतन् व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री गफ्फार उद्दीन ने वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी खुशयाल सिंह की दीक्षा किराना स्टोर के नाम से पिछले 5 वर्षो से जाटौली ग्राम धौलपुर में एक दुकान का संचालन करता चला आ रहा है। प्रर्थी अपनी दुकान से केवल परचून का सामान बेचता है। प्रार्थी ने कभी अपनी दुकान से बीजों का व्यापार ना तो कभी किया है और ना ही करता है। दिनांक 19.06.2022 समय करीब दोपहर 2 बजे प्रार्थी किसी काम से अपनी दुकान पर अपने पिता जी को बैठाकर धौलपुर चला गया था। दिनांक 19.06.2022 को समय लगभग 02:40 दोपहर को दीक्षा किराना स्टोर पर प्रार्थी के पिता श्री ज्वालाप्रसाद बैठे हुये थे उस समय एक व्यक्ति कुछ सामान लेकर दुकान पर आया और कहने लगा कि यह सामान में कुछ समय बाद लेकर चला जाउंगा प्रार्थी के पिता ने कहा भाई साहब मैं आपको जानता तक नही हूँ फिर यह सामान मैं अपने पास कैसे रख सकता हूँ तब उस व्यक्ति ने कहा कि आपका लड़का खुशयाल सिंह मुझे अच्छी तरह जानता है तो प्रार्थी के पिता ने वह सामान अपनी दुकान में रख लिया। प्रार्थी की दुकान पर कुछ समय बाद बीज निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के यहां से कुछ कर्मचारीगण आये जिन्हें प्रार्थी के पिता नही जानते थे और उन्होंने कहा कि हमें बीज चाहिये तो प्रार्थी के पिता ने कहा कि हम बीज नही बेचते तो उन सभी कर्मचारीगण ने प्रार्थी की दुकान में उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा रखा सारा सामान जब्त कर लिया तभी प्रार्थी अपनी दुकान पर आया प्रार्थी से उन कर्मचारीगण ने हस्ताक्षर करवाये प्रार्थी कुछ समझ पाता कृषि विभाग के कर्मचारीगण कार्यवाही कर चुके थे। प्रार्थी ने कृषि विभाग के कर्मचारीगण को काफी समझाने का प्रयास

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

किया लेकिन प्रार्थी की कोई सुनवाई नही हुई। प्रार्थी को रंजिशवश झूँठा फसाया गया है। प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है अतः प्रार्थी के विरूद्व हुई कार्यवाही को स्थगित की जावे।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गजट नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन आदेश की छायाप्रति, नमूने लेने की सूचना का प्रपत्र VI, मौका पर्चा, बीज जब्ती प्रपत्र IV, सुपुर्दगी प्रपत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022, जब्त किये गये बीज की बीज परीक्षण प्रयोगशाला भरतपुर की विश्लेषण रिपोर्ट पत्रांक 3176 दिनांकः 08.09.2022 से छाया प्रतियां पेश की।

अप्रार्थी ने अपने जबाव के समर्थन में जबाव के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किये।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से बाजरा बीज का विक्रय किया जा रहा था। बिना बीज लाइसेंस एवं व्यापार से सबंधित कागजात न होने पर बीज व्यापार करना बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के क्लॉज 3,4,8,9 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लधंन है। अप्रार्थी द्वारा पायोनियर कम्पनी की पैकिट में अन्य किस्म का घटिया बीज भरकर बेचा जा रहा था जो कि सी.आर.पी.सी. की धारा 420 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्व थाना सदर धौलपुर में एफ.आई.आर. संख्या 0221 दिनांक 24.06.2022 दर्ज कराई गई है। मैसर्स दीक्षा किराना स्टोर जाटोली से जब्त किये गये बीज में नमूने लेकर विश्लेषण हेतु बीज परीक्षण प्रयोगशाला भरतपुर भिजवाये गये प्रयोगशाला से नमूनो की विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से पांच नमूनों में से चार नमूनें सबस्टैण्डर्ड पाये गये। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जब्तशुदा बाजरा बीज एक्सपायर हो चुका है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा बिना लाइसेंस एवं कागजात के बीज का व्यापार करना एवं नकली/मिलावटी बीज बेचना, बीज (नियत्रंण) आदेश 1983 क्लॉज 3,4,8,9 एवं धारा 20 का उल्लंधन है। प्रकरण में जब्त बाजरा बीज को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में जब्त वाजरा बीज को राजसात किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना एवं जब्तशुदा बाजरा बीज का विभागीय नियमानुसार निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा बाजरा बीज को 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत विभागीय नियमानुसार राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि जप्त शुदा बाजरा बीज को सुपुर्दगार से वापिस प्राप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विभागीय नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही की जाकर पालना रिर्पोट इस न्यायालय में भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जाये।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर